

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 अप्रैल 2020—वैशाख 1, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2020

क्र. एफ. 3-6-2020-एक (1) 405.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की धारा 164 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को मंत्री नियुक्त किया है:—

1. श्री नरोत्तम मिश्रा
2. श्री तुलसी सिलावट
3. श्री कमल पटेल
4. श्री गोविन्द सिंह राजपूत
5. सुश्री मीना सिंह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त उक्त मंत्रियों ने संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार, आज दोपहर 12.00 बजे पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2020

क्र. एफ. 3-6-2020-एक (1) 406.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 3-6-2020-एक (1) 405, दिनांक 21 अप्रैल 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 21st April 2020

No. F 3-6-2020-ONE (1) 405.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister, under Article 164 of the Constitution of India has been pleased to appoint the following as **Ministers** :—

1. Shri Narottam Mishra
2. Shri Tulsi Silavat
3. Shri Kamal Patel
4. Shri Govind Singh Rajput
5. Sushri Meena Singh

The above mentioned Ministers appointed by the Governor took oaths of Office and of Secrecy as required under clause (3) of Article 164 of the Constitution and entered upon their offices today in the afternoon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
IQBAL SINGH BAINS, Chief Secy.